Notification : Dated: 6TH June, 2008

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–५, अरेरा कालोनी
बिट्टन मार्केट, भोपाल–४६२०१६

भोपाल. दिनांक : 3 जून 2008

क्रमांक – 1179 / म.प्र.विनिआ / 2008 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (5), (6) तथा (7) सहपठित धारा 181 (1) की उपधारा (2) की कण्डिका (आर) तथा (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, क्रमांक 1003 / मप्रविनिआ / 2004 दिनांक 12 अप्रैल, 2004 द्वारा अधिसूचित ''मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004'' में निम्न संशोधन / परिवर्धन करता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 में चतुर्थ संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

   (i) ये विनियम **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 (चतुर्थ संशोधन) (एजी–3 (iv), वर्ष 2008)** कहे जावेंगे ।

   (ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

   (iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

1. **खण्ड 3.5: कथित विनियमों के खण्ड 3.5 में परिवर्धन:** खण्ड 3.5 के अन्त में निम्न वाक्य अन्तर्स्थापित किया जावेगा, अर्थात,

   ''बशर्ते यह कि कोई भी अध्यक्ष यह पद पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस पद को धारित नहीं कर सकेगा''

2. **खण्ड 4.3: कथित विनियमों के खण्ड 4.3 में संशोधन:** खण्ड 4.3 के अन्त में निम्न वाक्य को विलोपित किया जावेगा, अर्थात,

   ''नियुक्त किये गये व्यक्ति को आयु नियुक्ति के समय पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए''

3. **खण्ड 4.4: कथित विनियमों के खण्ड 4.4 में परिवर्धन:** खण्ड 4.4 के अन्त में निम्न वाक्य अन्तर्स्थापित किया जावेगा, अर्थात,

   ''बशर्ते यह कि कोई नियुक्त / पदांकित किये गये विद्युत लोकपाल पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस पद को धारित नहीं कर सकेगा''

आयोग के आदेशानुसार

अशाोक शर्मा
आयोग सचिव